न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2024

1. छीतर पुत्र हरजी जाति जाट उम्र लगभग 85 साल निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थी

बनाम

1. गोगा पत्नि काना जाति गुर्जर निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 9/12/24

उपस्थितः: वकील प्रार्थी श्री करतार सिंह चौधरी
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री करतार सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम तोलामाल पटवार हल्का बडगांव तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 64 रकबा 04.3929 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 63 रकबा 0.0243 हैक्टैयर स्थित है जिसमें प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त आराजी के पास की अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 1.5452 हैक्टेयर स्थित है जिसपर अप्रार्थी संख्या 01 काबिज है, प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में ग्राम तिलोनिया से तोलामाल जाने वाले सार्वजनिक रास्ते से होते हुये गै.मु. चारागाह खसरा संख्या 28 से होते हुये अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी खसरा संख्या 62 के उत्तर पूर्वी कोने से होकर आने जाने का रास्ता है जो कई वर्षों से आने जाने के काम में आ रहा है, प्रार्थी इसी रास्ते से अपनी भूमि पर आवागमन करता है तथा इसी रास्ते से अपनी कृषि उपजो को लाने ले जाने कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाने वाले कृषि यंत्रों यथा ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल, बैलगाड़ी व पालतू जानवर ले जाते रहे है। उक्त रास्ता [illegible] के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड (नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी) में इन्द्राजात नहीं है तथा उल्लेखित रास्ता प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान् की आराजियात् में आने जाने का एक मात्र रास्ता है तथा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। विधि के प्रावधानो के अनुसार हर कृषक अपनी कृषि आराजी में आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग का अधिकार रखता है तथा जहा नक्शा ट्रेस में सार्वजनिक रास्ते का अंकन नहीं है वहा अपने पड़ौसी की कृषि आराजी से भी आने जाने का अपना हक अधिकार रखता है तथा राज्य सरकार ने भी धारा 251 रा0का0 अधिनियम 1955 में धारा 251(क) रा0का0 अधिनियम 1955 को संशोधन कर हर काश्तकार को अपनी कृषि आराजी में आने जाने का अधिकार दिया है। इसी कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नजरी शा में लाल रंग से दर्शित खसरा संख्या 62 में से राजस्व रिकार्ड में रास्ते को घोषित कर जस्व नक्शे में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावें ,उक्त रास्ते हेतु जो भी ाशि श्रीमान द्वारा प्रार्थी को निर्वापित जायेगी उसे देने के लिये प्रार्थी तैयार एंव तत्पर है।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.02.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर जवाबकर्ती को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकी खसरा नम्बर 33 जो रास्ता/सडक के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो इससे लगता हुआ खसरा नम्बर 29 चारागाह दर्ज है एवं इस खसरा नम्बर से लगता हुआ खसरा नम्बर 28 है जो चारागाह दर्ज है एवं खसरा नम्बर 60 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम इन्द्राज है प्रार्थी की भूमि एवं रास्ते के बीच में खसरा नम्बर 28,29, 60 आते है जिसमें प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है केवल मात्र जवाबकर्ती को पक्षकार संयोजित करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके आधार पर प्रार्थी को रास्ते का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 251 (ए) के तहत जिन-जिन खसराओं से रास्ता चाहा गया है उनका अनुतोष लेना आवश्यक है एवं उनको पक्षकार कायम किया जाना भी आवश्यक है जबकी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 28, 29 में कोई अनुतोष चाहा गया है एवं ना ही खसरा नम्बर 60 जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम है उनको भी पक्षकार कायम नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही प्रभाविक पक्षकारों को पक्षकार कायम किया गया है इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असंयोजन व कुसंयोजन के आधार पर निरस्तनीय है इस बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। **"Suit can be dismissed for necessary party" non-joinder & miss-joinder.** प्रार्थी के खसरा नम्बर **64** में जाने के लिये खसरा नम्बर **29, 28. 27** में से होकर आसानी से लिया जा सकता है जो सबसे सरलतम, निकटतम, सुगमतम्, निकटतम रास्ता है, खसरा नम्बर **27** के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, खसरा नम्बर **61** में से आने से पहले गै० मु० नाला आता है नाले में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है नाले के पहले ग्राम तिलोनिया जाने वाली रोड़ है प्रार्थी द्वारा रोड़ से रास्ता न चाह कर अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकी विधि की मंशा यह है कि प्रार्थी को रोड/रास्ता से अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहना चाहिए परन्तु प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2[illegible]ह दर्ज है इस कारण प्रार्थी चारागाह भूमि खसरा नम्बर 29 [illegible] प्रतिबन्धित है एवं ना ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अनु[illegible] प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल र[illegible]थान द्वारा आर०आर०टी० **2021** पार्ट **2** पेज नम्बर **1286** एवं डि०एन० जे० (रेवेन्यु) **201[illegible]** पेज नम्बर **262** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं सबसे सरलतम, निकटतम, लघुतम, सुगमतम है वहां से ही रास्ता दिया जा सकता है। जबकी प्रार्थी द्वारा जो रास्ता/रोड़ है वहां से रास्ता नहीं चाहा गया है केवल मात्र अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है तो रोड़ /रास्ता से अप्रार्थीया की भूमि तक किस प्रकार से आयेगा रोड़ /रास्ता है या नहीं कही भी अंकित नही किया गया है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:33 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध है। इस प्रकार "वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर नया रास्ता नही दिया जा ता है आर०आर०टी० 2017 (1) पेज नम्बर 423 में प्रतिपादित किया गया है कि "When ter native way is available, new way cannot be create under the garb of convenient way"आर०आर०टी० 2016 (1) पेज नम्बर 649 में प्रतिपादित किया गया है कि "Alternative way was available petitioner cannot claim direct route in place of existing way."प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है एवं उक्त पैरे में जो जवाबकर्ता की भूमि में से कभी आते-जाते नहीं है प्रार्थी द्वारा झुठे कथन अंकित किये गये है प्रार्थी द्वारा मौके पर कभी भी प्रार्थी की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। जबकी प्रार्थी द्वारा यह कही भी अंकित नहीं किया गया है अर्थात कही भी खसरा नम्बर नहीं किया गया है कि प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर/रास्ते से होते हुये अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकी अप्रार्थीया की भूमि से किसी भी प्रकार से कोई रास्ता लगता हुआ नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी को किसी भी प्रकार से रास्ता नहीं दिया जा सकता है चूंकि प्रार्थी को यह दर्शाना आवश्यक होगा कि प्रार्थी रास्ता/रोड से किस प्रकार से होते हुये अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहिए इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। अत श्रीमान से निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थना पात्र को ख़ारिज किया जावे है। दिनांक 19.07.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीगणों की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी खसरा संख्या 63, 64 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 62 में से 30 फीट का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0201 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 67770/- अक्षरे सडसठ हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार किशनगढ द्वारा रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया जो इस प्रकार हैः-

दिनांक 06.11.2024 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 को इस आधार पर खारिज किया गया कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा नियमानुसार ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा प्रार्थी अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि से कभी आवागमन नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 33 गै.मु. रास्ता होने तथा खसरा संख्या 28, 29 होने से राज्य सरकार को अप्रार्थी संख्या 02 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

दिनांक 06.11.2024 को वकील उभयपक्ष की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राज. का. अधि. के सुसंगत प्रावधानों [illegible] गया है, मौका रिपोर्ट गिरदावर एवं पटवार हल्का द्वारा मौका देखकर ही नि[illegible]र की गई है जिसमें अंकन है कि अप्रार्थी की ओर से दयाल [illegible]

दिनांक 06.11.2024 को वकील उभयपक्ष की मूल [illegible] (क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के [illegible]ओं को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 63, 64 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63, 64 में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी खसरा संख्या 63, 64 से निकटतम

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रास्ता खसरा संख्या 33 से खसरा संख्या 28 व 29 में से होकर अप्रार्थी की भूमि से आगमन करता है चूंकि खसरा संख्या 28 व 29 गै.मु. चारागाह है जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसमें विधिक रूप से रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता है किंतु मुताबिक तहसीलदार किशगनढ की मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 28 व 29 मौके पर खाली है तथा रास्ता चालू है । खसरा संख्या 62 में से रकबा 0.0201 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63, 64 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 62 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0201 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 1685688/– रू0 प्रति हैक्टैयर के अनुसार ख0नं0 62 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0201 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 67770/– रू0 अक्षरे सडसठ हजार सात सौ सत्तर रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0201 भूमि का मुआवजा राशि 67770/– रू0 अक्षरे सडसठ हजार सात सौ सत्तर रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 4799 दिनांक 18.07.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0201 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:33 IST
Reason: SelfAttested